न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 234 / 2015

उनवान

1. श्री ईश्वर पुत्र जग्गू गुर्जर निवासी रायरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2. अमरती बेवा जग्गू गुर्जर निवासी रायरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3. सोसर पुत्री जग्गू गुर्जर निवासी रायरा हाल पत्नि नाथूलाल गुर्जर निवासी मालासेरी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4. लाली पुत्री जग्गू गुर्जर निवासी रायरा हाल पत्नि काना गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

अपीलाण्टगण

बनाम

1. श्री माधु पुत्र जग्गू गुर्जर निवासी रायरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2. श्री नानू पुत्र जग्गू गुर्जर निवासी रायरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3. कंकू पुत्री जग्गू गुर्जर निवासी रायरा हाल पत्नि अम्बालाल गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4. मैनेजर सा0 एस.बी.आई. बैंक आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलेक्टर आसीन्द के प्रकरण
संख्या 40 / 2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.11.2014
अधिवक्तागण :–

1. श्री संजय सेन , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री मुनीर गनी अधिवक्ता प्रत्यर्थी स0 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 5

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांक 10.10.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी / वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के पिता के फौत हो जाने से इन्तकाल नं0 176 दर्ज हुआ। विवादित आराजीयात जो कि संयुक्त खाते मौरूशी जायदाद राजस्व ग्राम रायरा पटवार हल्का जगपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा में सम्वत्2064 से 2067 के खाता संख्या 43 की आराजी नम्बर 1057 रकबा 0.40 हैक्टर, आ0न0 1058 रकबा 0.68 है0, आ0न0 1059 रकबा 0.43 है0, आ0न0 1060 रकबा 0.05 है0, आ0न0 1165 रकबा 0.20 है0, आ0न0 1543 रकबा 0.10 है0, आ0न0 1547 रकबा 0.45 है0, आ0न0 1663 रकबा 0.23है0, आ0न0 1688 रकबा 0.18 है0, आ0न0 1695 रकबा 0.08 है0 , आ0न0 1700 रकबा 0. 28 है0, आ0न0 1712 रकबा 0.49 है0, आ0न0 1714 रकबा 0.25 है0, आ0न0 1720 रकबा 0.33 है0, आ0न0 1721 रकबा 0.06है0, आ0न0 1730 रकबा 0.22 है0, आ0नं0 1731 रकबा 0.20 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 4.63 हैक्टर लगानी 79.85 रूपये खातेदार की मृत्यु होने से इन्तकाल नम्बर 296 विरासत से दिनांक 01.02.2008 को जगू के बजाय नानू, माधु, ईश्वर पिता जगू, कंकू, सोसर, लाली पुत्री जगू, अमरती बेवा जगू का नाम दर्ज हुआ व इन्तकाल नं0 333 दिनांक 06.03.2009 से प्रतिवादी सं0 7 के रहन दर्ज होने से पक्षकार स्थापित किया गया है। खाता संख्या 44 आराजी नम्बर 1733 रकबा 0.11 हैक्टर लगानी 2.07 रूपये होकर ग्राम रायरा में दर्ज रेकार्ड है।

2. उक्त आराजियात का वादी ने प्रतिवादीगण से मौरूसी जायदाद कब्जे अनुसार विभाजन आ0नं0 1688

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 0.18 है0, आ0नं0 1714 रकबा 0.25 है0, आ0नं0 1712 रकबा 0.49 है0 में से 1/3 हिस्सा व आ0नं0 1700 रकबा 0.28 है0 में से 1/3 हिस्से पर काबिज है और उक्त रकबे को काफी रूपया लगाकर उपजाउ बनाया अपने पिता द्वारा बांटी गई भूमि पर काबिज है। वादी ने प्रतिवादीगण को अपने कब्जे एवं हिस्से अनुसार विभाजन करने के लिए निवेदन किया जो प्रतिवादीगण ने वादी को मना कर दिया। दिनांक 20.01.2011को मना कर दिया तब से बिनाय वाद पैदा होकर वाद पेश करने तक लगातार जारी है। अतः बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 01 के खातों की आराजीयात का कब्जे अनुसार विभाजन करा बराबर हक हिस्से व लगान की तसरी के साथ 1/7 हिस्से का प्रत्येक का अलग–अलग राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं0 8 से डिक्री की पालना करायी जावे।

3. अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.11.2014 के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को तथाकथित मूल आदेश दिनांक 25.06.2012 एवं अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.11.2014 का कोई ज्ञान एवं संसूचना नहीं थी क्योंकि अपीलार्थीगण की तामील सम्यक रूप से नहीं हुई थी। दिनांक 30.11.2015 को जब अपीलार्थी ईश्वर के खाते की नकल लेने पटवार हल्का जगपुरा गया तो उसको पता लगा तत्काल आवेदन देकर निर्णय और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां ली जो

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 02.12.2015 को मिली इस प्रकार अपीलार्थीगण को दिनांक 30.11.2015 को अपीलान्तर्गत निर्णय और डिक्री की जानकारी हुई जिससे यह अपील जानकारी मिलने व नकल निर्णय मिलने से विहित परिसीमा अवधि में पेश है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जवे।

6. अपीलार्थीगण/प्रतिवादी सं0 2,3 व 5,6 के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादोक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण की सम्यक रूप से तामील नहीं हुई व न ही वाद में अपीलार्थीगण उपस्थित ही हुए। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय कीं आदेशिकाओं में निरन्तर बईन्तजार तामील हेतु चला आ रहा था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.06.2012 को बगैर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की तामील हुए ही यह आदेश पारित कर दिया। जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण/प्रतिवादी सं0 2,3 व 5,6 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादोक्त प्रकरण में प्राथमिक निर्णय व प्राथमिक डिक्री के अनुसार पटवार हल्का जगपुरा द्वारा भी बिना मौके पर आये व बिना अपीलार्थीगण को सूचित किये वादी/प्रत्यर्थी सं0 01 को लाभ पहुंचाने की गरज से वाद में बताये कब्जे से भिन्न बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। बटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार आसीन्द को स्वयं मौके पर जाकर सहखातेदारों की मौजूदगी में बनाना था एवं राजस्थान टिनेन्सी(बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) के नियम 18 से 21 में दिए नियमों के तहत विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण/प्रतिवादी सं0 2,3 व 5,6 के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल माधु वादी के तथाकथित 1/7 हिस्से की आज्ञा पारित कर दी बाकी पक्षकारों का हक हिस्सा कितना व कहां रहेगा कोई उल्लेख निर्णय में नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सभी सह खातेदारों के मध्य विभाजन नहीं किए

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाने से पारित निर्णय व डिक्री अपास्त करा नये सिरे से विभाजन करने अथवा अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित करने का आदेश फरमावें।

9. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली में संलग्न राजस्व दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं सतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. अपील मीमों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 13.11.2014 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण का यह कथन है कि उनकी तामील नहीं हुई तथा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया न कोई जवाब ही लिया फिर भी प्राथमिक निर्णय पारित किया वह प्रथमतया शून्य होकर वैध निर्णय नहीं है। परन्तु अपीलाण्टगण द्वारा प्राथमिक डिक्री की अपील नहीं की गई है, अतः प्राथमिक डिक्री के आधार पर जारी निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 13.11.2014 के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पारित आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया।

दावे में दिनांक 25.06.2012 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2064–2067 मौजा रायरा पटवार हल्का जगपुरा तहसील आसीन्द की खाता सं0 44 आराजी नं0 1733 रकबा 0.11 है0, व खाता संख्या 43 की आ0नं0 कुल कीता 17 कुल रकबा 4.63 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उनके हक हिस्से व कब्जे अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि व लगान के विभाजन के आदेश दिये जा कर प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी किया गया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने के उपरान्त राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) के नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया जाकर अन्तिम डिक्री पारित किए जाने के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार आसीन्द से बटवाड़ा प्रस्ताव चाहा गया। इस क्रम में तहसीलदार आसीन्द द्वारा पत्र क्रमांक / राजस्व / 2014 / 112 दिनांक 28.02.2014 द्वारा बटवाड़ा प्रस्ताव नक्शा व जमाबन्दी प्रेषित की गई है। बटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया बटवाड़ा प्रस्ताव पटवारी जगपुरा द्वारा तैयार किया गया है जबकि तहसीलदार आसीन्द को स्वयं उपस्थित होकर बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कराया जाना था। तथा उभयपक्ष को भी बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किए जाने के क्रम में सूचित किया जाना आवश्यक था। अतः बटवाड़ा प्रस्ताव को राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) के नियम 1955 के नियम 18 से 21 के तहत तैयार किया जाना नहीं माना जा सकता है। बटवाड़ा प्रस्ताव के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि मात्र माधु पिता जगु गुर्जर के हक हिस्से का निर्धारण किया जाकर सभी सहखातेदारान के मध्य बटवाड़ा नहीं किया गया है। जबकि विधिक रूप से तहसीलदार आसीन्द से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी रिकॉर्डेड सहखातेदारान के मध्य प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में उनके हक हिस्से व कब्जे अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि व लगान का प्रस्ताव स्वयं तैयार करे। अतः अपीलाधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

12. अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 13.11.2014 को खारिज किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) के नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना के तहत बटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार आसीन्द से तलब किया जाकर अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

10/10/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस
अपील संख्या आर टी ए / 234 / 2015

उनवान

1. श्री ईश्वर पुत्र जग्गू गुर्जर निवासी रायरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2. अमरती बेवा जग्गू गुर्जर निवासी रायरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3. सोसर पुत्री जग्गू गुर्जर निवासी रायरा हाल पत्नि नाथूलाल गुर्जर निवासी मालासेरी तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4. लाली पुत्री जग्गू गुर्जर निवासी रायरा हाल पत्नि काना गुर्जर निवासी कोलीखेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

अपीलाण्टगण

बनाम

1. श्री माधु पुत्र जग्गू गुर्जर निवासी रायरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2. श्री नानू पुत्र जग्गू गुर्जर निवासी रायरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3. कंकू पुत्री जग्गू गुर्जर निवासी रायरा हाल पत्नि अम्बालाल गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4. मैनेजर सा0 एस.बी.आई. बैंक आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलेक्टर आसीन्द के प्रकरण
संख्या 40 / 2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.11.2014
अधिवक्तागण :–

1. श्री संजय सेन , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री मुनीर गनी अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9 TA / 234 / 2015 ईश्वर बनाम माधू

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 234 / 2015** मे **सहायक कलेक्टर, आसीन्द** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 10.10.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री संजय सेन अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री मुनीर गनी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रत्यर्थी सं0 5 की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 10.10.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 13.11.2014 को खारिज किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) के नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना के तहत बटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार आसीन्द से तलब किया जाकर अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी की जावे।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 10.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस